तारांकित प्र.क्र 1393 [31/7/2025] "परिशिष्ट "स"

प्रश्न सं. [क्र. 1393]

कार्यालय नगरपालिका परिषद श्योपुर, जिला–श्योपुर (म.प्र.)

प्रतिलिपि–पी.आई.सी. संकल्प क्रमांक 21 दिनांक 31.01.2025

विषय :– कायाकल्प 2.0 अतिरिक्त अंतर्गत शासन को प्रस्ताव भेजने बावत् विचार एवं निर्णय।

प्रकरण प्रस्तुत हुआ। प्रकरण का अवलोकन किया गया। कार्यालयीन टीप अनुसार संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक/यां.प्र./07/2023/11172 भोपाल दिनांक 25.09.2023 के पालन में कायाकल्प योजना 2.0 अतिरिक्त अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में सड़को के निर्माण कार्य हेतु रूपये 200.00 लाख रूपये की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। अतिरिक्त व्यय होने की स्थिति में नगरपालिका द्वारा वहन किया जावेगा उक्त कार्य का प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रस्तुत करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है। तथा आगामी समस्त कार्यवाही हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया जाता है। प्रकरण में सीएमओ नियमानुसार कार्यवाही करें। प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित।

सत्य प्रतिलिपि सत्य प्रतिलिपी

Chief Municipal Officer
Municipal Council,Sheopur

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

D/K.Sharma/Nirman/thahrav/2016

Scanned with OKEN Scanner

तारांकित प्रश्न 1593 परिशिष्ट "ब"

~~परिशिष्ट : फ~~

न्यायालय तहसीलदार तहसील व जिला श्योपुर (म.प्र.)

राजस्व आदेश-पत्र (रेव्हेन्यू ऑर्डर शीट)

प्रकरण क्रमांक 0004 / अ-3 / 2025-26

(1)	(2)	(3)
04/06/25	— प्रकरण पेश। — अनावेदक मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्योपुर नगरपालिका परिषद श्योपुर द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई कि कस्बा श्योपुर की शासकीय भूमि सर्वे क्र. 604, 605, 606, 622, 623, 623/2 कुल रकबा 2.183 हे. भूमि नगरपालिका परिषद श्योपुर को श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा प्र.क्र. 0006/अ-20/2022-23 से आवंटित की गई है। उक्त भूमि से आवेदक का कोई सरोकार नहीं है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में नगरपालिका परिषद श्योपुर के नाम से अमल हो चुकी है। अतः स्थगत आदेश दिनांक 28.04.2025 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। — प्रकरण में संलग्न दस्तावेज एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का अवलोकन किया गया। जिसमें पाया गया कि आवेदक डॉ. एस.के.मुदगल जिला परियोजना प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला पंचायत श्योपुर का प्रश्नाधीन भूमि से कोई सरोकार नहीं होने से प्रकरण में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28.04.2025 एतद् द्वारा समाप्त किया जाता है। — चूंकि आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि से कोई सरोकार ही नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदक के आवेदन पर कार्यवाही किया जाना भी विधिसंगत नहीं है। — अतः आवेदक का आवेदन अस्वीकार किया जाता है। — उभयपक्ष सूचित हों। — हल्का पटवारी नोट करें। — बाद पूर्णता प्रकरण समाप्त होकर दा.रि.हो। तहसीलदार 04/6/25 तहसील श्योपुर (म.प्र.) तहसीलदार तहसील श्योपुर जिला श्योपुर अनुभाग अधिकारी मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल	

Digitally signed by Arjun Singh Bhadoria
Date: 2025.06.04 19:39:34 +05:30
Reason: Order Copy
Location: MADHYA PRADESH